



209  
10/04/14

श्री ~~पंकज जी ठानी~~ <sup>ADN</sup>  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 10/04/2014  
को प्रस्तुत

विशेष

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प इन्दौर के  
समक्ष

क्रि. 1349-PBL-14

पुनरिक्षण याचिका कं. /2014

1. सखाराम पिता शोभाराम जाति काछी  
निवासी मागरूल
2. किशारे पिता पंढरी जाति काछी  
निवासी - ग्राम गुवाड़ी तह0 गोगांवा पुनरिक्षणकर्ता / अनावेदकगण

विरुद्ध

1. कन्हैया पिता बाल्या जाति काछी
  2. दगडू पिता बाल्या जाति काछी
- दोनो निवासी - ग्राम गुवाड़ी तह0 गोगांवा प्रतिप्रार्थीगण / आवेदकगण

आवेदन पत्र धारा 50 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत

सदर पुनरिक्षण याचिका माननीय तहसीलदार महोदय, गोगांवा जिला खरगोन द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/13-14 में पारित आदेश दिनांक 07/02/2014, जिसके द्वारा विद्वान तहसीलदार महोदय द्वारा बिना योग्य कारणों के एवं अभिलेख पर मौजूद तथ्यों के विपरित आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन अंतर्गत धारा 32 भू-राजस्व संहिता का स्वीकार कर आवेदकगण को अंतरिम रास्ता उपलब्ध कराया गया है, के विरुद्ध निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :

क्रि. 1349-PBL-14  
10/04/14


10-4-14

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1349-पीबीआर/14

जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-4-2018	<p>आवेदकपक्ष व उनके अधिवक्ता दिनांक 23-6-2016 से लगातार सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदकपक्ष व अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>